

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 1043

दिनांक:- 21.11.16

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- कमान्डेन्ट-157 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदित्यपुर-सरायकेला खरसावा द्वारा C.R.P.F-157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु 4.97 हे0 वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का पत्रांक 2134 दिनांक 21.10.2016

महाशय,

प्रासांगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) करते हुए सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 4.97 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच प्रतियाँ प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का अनुमोदन प्राप्त है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :-

1. प्रस्तावित वनभूमि सरायकेला खरसावा वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. प्रस्तावित 4.97 हे0 वनभूमि में सम्पूर्ण वनभूमि P.F है। जंगल-झाड़ शून्य है अतः इसके उपयोग हेतु D.C का NOC की आवश्यकता नहीं है। इसका वनस्पति घनत्व 0.05 से 0.1 है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form Part-I में आवेदन तथा अभियुक्ति दर्ज है।
4. प्रस्ताव के साथ Part-II एवं III में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी सरायकेला एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का अभियुक्ति तथा मंतव्य दर्ज है साथ ही स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। अनु0-III, IIIA एवं XXI
5. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है। अनु0- VIII
6. प्रस्ताव के साथ 1:50000 स्केल के टोपोशीट पर प्रस्तावित स्थल को चिन्हित कर नक्शा संलग्न है। अनु0- IV
7. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी ग्रामवार/प्लॉटवार/रकबावार संलग्न है अनु0-X जो निम्नवत् है।

वन प्रमंडल का नाम	मौजा	थाना/नं०	प्लॉट नं०	वैधानिक स्थिति	रकबा
सरायकेला	डिन्दली	सरायकेला/128	97	P.F	4.97

8. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है। अनु०-XI
9. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि में प्रभावित होने वाली वृक्षों की गणना सूची संलग्न नहीं है प्रभावित होने वाली वृक्षों की कुल संख्या शून्य है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वृक्षों का पातन नहीं करने की वचनबद्धता दी गई है। अनु०:-IX
10. प्रस्ताव के साथ Layout Plan संलग्न है। अनु०:- VI
11. प्रस्ताव के साथ Geo reference Digital Plan संलग्न नहीं है, परन्तु प्रस्तावित वनभूमि का GPS Cordinate संलग्न है। अनु०:-V
12. प्रस्ताव के साथ C.R.P.F Camp स्थापित करने हेतु ग्राम सभा/आम सभा की रिजोलूशन की प्रति संलग्न है। अनु०:- XIV
13. जिले से संबंधित मूलभूत सूचनाएँ प्रस्ताव के साथ संलग्न है अनु०:- XXII
14. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित 4.97 हे० वनभूमि का Total Item wise break of Land संलग्न है अनु०- X
15. FRA, 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त ने पत्रांक 596 दिनांक 03.06.2016 द्वारा सूचित किया है संबंधित मौजा अधिसूचित है, अतः वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम सभा गठित नहीं है। अनु०- VIII
16. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी बायोस्फेयर टाइगर रिजर्व, गज कोरिडोर का हिस्सा नहीं है। परन्तु यह क्षेत्र गज आरक्ष्य क्षेत्र में पड़ता है। अतः C.W.L.W का मंतव्य हेतु अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।
17. प्रस्ताव के साथ Part-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है।
18. प्रस्तावित वनभूमि का मौजा मैप प्रस्ताव के साथ संलग्न है। अनु०- XVII
19. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 4.97 हे० वनभूमि के दोगुने 9.94 हे० के विरुद्ध 10 हे० अवकृष्ट वनभूमि का चयन मौजा दिन्दली एवं भाटिया थाना सरायकेला नं० 127 एवं 128 प्लॉट संख्या 97(P) Dindli एवं 40(P) Bhatia में किया गया है। अनु०- XVIII
20. प्रस्ताव के साथ चयनित स्थल का नक्शा, योजना, प्राकल्पन एवं C.A हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि का Suitability Certificate संलग्न है। अनु०:- XIX
21. वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इस परियोजना हेतु 4.97 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत है। लोकहित, राज्यहित में मानक शर्तों पर इस परियोजना हेतु 4.97 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

प्रस्तावित वनभूमि सरायकेला खरसाँवा जिला में अवस्थित है। केन्द्र सरकार द्वारा यह जिला L.W.E के रूप में संसूचित है। अतः 4.97 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु राज्य सरकार को शक्ति प्रदत्त है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि 4.97 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I की स्वीकृति प्रदान करने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

Kadon
18.11.16



झारखण्ड सरकार

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर

दूरभाष संख्या एवं फैंक्स - 0657-2223430, ई-मेल- cffjamshedpur@gmail.com



जहाँ है हरियारी
वहाँ है ख़ुशाली ॥

पत्रांक - E-96/2016- 2134

दिनांक - 27-10-16

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची

विषय :

2807
02/11/16

कमान्डेन्ट-157 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावाँ
द्वारा CRPF-157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु 4.97 हे० वनभूमि अपयोजन के
संबंध में।

प्रस्ताव :

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला का पत्रांक 3103 दिनांक
21.10.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कमान्डेन्ट-157 बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा CRPF-157 बटालियन के कैम्पिंग
साईट हेतु सरायकेला वन प्रमण्डल अंतर्गत सरायकेला प्रक्षेत्र के दिंदली पी०एफ० में 4.97 हे० वनभूमि
अपयोजन का प्रस्ताव प्राप्त है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला से प्राप्त प्रस्ताव के साथ
निम्नलिखित अभिलेख संलग्न है :-

1. प्रस्ताव के प्रपत्र "ए" के भाग-I, अनु०-I
2. प्रस्ताव के प्रपत्र "ए" के भाग-II, अनु०-II
3. प्रपत्र-II में ~~अधोहस्ताक्षरी~~ का मन्तव्य अंकित है जिसे संबंधित वेबसाईट पर अपलोड कर
पावती रसीद संलग्न की गई है। अनु०-III
4. प्रपत्र-III में अधोहस्ताक्षरी का मन्तव्य एवं अनुशंसा अंकित है, जिसे संबंधित वेबसाईड पर
अपलोड कर पावती रसीद संलग्न की गई है। ★ अनु०-III A
5. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का टोपोसीट, अनु०-IV
6. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का GPS Co-ordinates, अनु०-V
7. अपयोजित होने वाले वनभूमि का Layout Map, अनु०-VI
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्राप्त Justification, अनु०-VII
9. लागत लाभ विप्लेषण, अनु०-VIII
10. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा निर्गत वैकल्पिक भूमि का प्रमाण पत्र, अनु०-IX

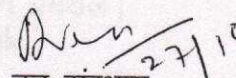
- 27
11. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का Item wise breakup, अनु0- X
 12. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु आवश्यक राशि देने संबंधी प्रयोक्ता अभिकरण का बचनवद्धता प्रमाण पत्र, अनु0- XI
 13. एन0पी0भी0 राशि जमा करने संबंधी प्रयोक्ता अभिकरण का बचनवद्धता प्रमाण पत्र, अनु0- XII
 14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत न्यूनतम वनभूमि उपयोग करने संबंधी प्रमाण पत्र, अनु0- XIII
 15. ग्रामसभा की कार्यवाही की प्रति, अनु0- XIV
 16. वृक्षों की गणना सूची, अनु0- XV
 17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्राप्त सी0डी0, अनु0- XVI
 18. अपयोजन हेतु प्रस्तावित मौजा का कैडेस्ट्रल मानचित्र, अनु0- XVII
 19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र, अनु0- XVIII
 20. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित योजना, अनु0- XIX
 21. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र, अनु0- XX
 22. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, अनु0- XXI
 23. जिले से संबंधित मूलभूत सूचनाएँ, अनु0- XXII
 24. Website में upload किया हुआ Time line details, अनु0- XXIII

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर से आवश्यक अनुमोदन संचिका में प्राप्त कर लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 :-प्रस्ताव की 06 प्रतियों में।

आपका विश्वासी,


वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर


07/11/16

१९

12. एन०पी०भी० राशि जमा करने संबंधी प्रयोक्ता अभिकरण का बचनवद्धता प्रमाण पत्र, अनु०- XI
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत न्यूनतम वनभूमि उपयोग करने संबंधी प्रमाण पत्र, अनु०- XII
14. ग्रामसभा की कार्यवाही की प्रति, अनु०- XIII
15. वृक्षों की गणना सूची, अनु०- XIV
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्राप्त सी०डी०, अनु०- XV
17. अपयोजन हेतु प्रस्तावित मौजा का कैंडेस्ट्रल मानचित्र, अनु०- XVI
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र, अनु०- XVII
19. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित योजना, अनु०- XVIII
20. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र, अनु०- XIX
21. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, अनु०- XX
22. जिले से संबंधित मूलभूत सूचनाएँ, अनु०- XXI
23. Website में upload किया हुआ Time line details, अनु०- XXII

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० :-प्रस्ताव की 08 प्रति।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सरायकेला वन प्रमंडल।

9/10 21/11/14



झारखण्ड सरकार

कार्यालय-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला
जिला-सरायकेला-खरसावाँ।

e-mail-dfoseraikela@gmail.com; Telefax No.06597-234891(O)



जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है ख़ुशहाली ॥

अनु. प्राप्तिका
सेवा में,

22/10/16

22/10/16

विषय :

प्रस्ताव :

पत्र संख्या : 3103

दिनांक : 21/10/2016



वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

कमान्डेन्ट-157 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा 157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु 4.97 हे० वनभूमि अपयोजन के संबंध में।

कमान्डेन्ट-157 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावाँ का पत्रांक एम०-पाँच-1/2016-क्यू०-157बटा० दिनांक 08.06.2016

02/10/16 महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि कमान्डेन्ट-157 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा 157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु 4.97 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव का आवश्यक जाँच अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है। प्रस्तावित 4.97 हे० वनभूमि मौजा-दिंदली सुरक्षित वन में पड़ता है। आवश्यक जाँचोपरांत प्रस्ताव सभी अनुलग्नकों के साथ निम्नवत भेजी जा रही है :-

1. प्रस्ताव के प्रपत्र "ए" के भाग-I, अनु०-I
2. प्रस्ताव के प्रपत्र "ए" के भाग-II, अनु०-II
3. प्रपत्र-II में अधोहस्ताक्षरी का मन्तव्य अंकित है जिसे संबंधित बेवसाईट पर अपलोड कर पावती रसीद संलग्न की गई है।
4. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का टोपोसीट, अनु०-III
5. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का GPS Co-ordinates, अनु०-IV
6. अपयोजित होने वाले वनभूमि का Layout Map, अनु०-V
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्राप्त Justification, अनु०-VI
8. लागत लाभ विश्लेषण, अनु०-VII
9. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा निर्गत वैकल्पिक भूमि का प्रमाण पत्र, अनु०-VIII
10. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का Item wise breakup, अनु०-IX
11. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु आवश्यक राशि देने संबंधी प्रयोक्ता अभिकरण का बचनवद्धता प्रमाण पत्र, अनु०-X

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

BATTALION CAMPING SITE, CRPF 4.97 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

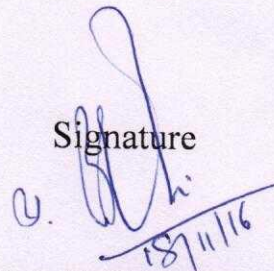
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 4.97 ha. Forest land.

Date :- 18.11.2016

Place :- Ranchi.

Signature



(RAMESH RAMSAI HEMBROM)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests

-cum-Executive Director

Waste Land Development Board

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)